संख्या– 854/26–ब0प्र0–2010–01(ब0प्र0)/09–डी0पी0

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊः दिनांकः 27 अक्टूबर , 2010

विषयः– डा0 अम्बेडकर ग्रामों में " डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों " के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–390/26–ब0प्र0–2010–01(ब0प्र0)/2009–डी0पी0, दिनांक 07–05–2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें वित्तीय वर्ष 2010–11 में डा0 अम्बेडकर ग्रामों में डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु जनपदों को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 करोड़ (रू0 दो अरब मात्र) की धनराशि स्वीकृति की गई है। स्वीकृति की गयी धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 127.80 करोड़ के सापेक्ष रू0 67.80 करोड़ (रूपये सड़सठ करोड़ अस्सी लाख मात्र) बजट प्राविधान से तथा रू0 60.00 करोड़ (रूपये साठ करोड़ मात्र) बचतों से पुनर्विनियोग कर कुल रू0 127.80 करोड़ (एक अरब सत्ताइस करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , स्वीकृति की जा रही धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख रूपये में)

| क0 सं0 | मण्डल/ जनपद का नाम | वर्ष 2010–11 में आवंटित लक्ष्य | डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु वांछित धनराशि | पूर्व में स्वीकृत की गई धनराशि | स्वीकृत की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आगरा मण्डल | | | | |
| | 1–आगरा | 21 | 344.19 | 210.00 | 134.19 |
| | 2–फिरोजाबाद | 17 | 278.63 | 170.00 | 108.63 |
| | 3–मैनपुरी | 18 | 295.02 | 180.00 | 115.02 |
| | 4–मथुरा | 19 | 311.41 | 190.00 | 121.41 |
| 2. | अलीगढ़ मण्डल | | | | |
| | 1–अलीगढ़ | 27 | 442.53 | 270.00 | 172.53 |
| | 2–महामायानगर | 20 | 327.80 | 200.00 | 127.80 |
| | 3–एटा | 20 | 327.80 | 200.00 | 127.80 |
| | 4–काशीरामनगर | 15 | 245.85 | 150.00 | 95.85 |
| 3. | इलाहाबाद मण्डल | | | | |
| | 1–इलाहाबाद | 50 | 819.50 | 500.00 | 319.50 |
| | 2–कौशाम्बी | 22 | 360.58 | 220.00 | 140.58 |
| | 3–फतेहपुर | 28 | 458.92 | 280.00 | 178.92 |
| | 4–प्रतापगढ़ | 33 | 540.87 | 330.00 | 210.87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | आजमगढ़ मण्डल | | | | |
| | 1–आजमगढ़ | 90 | 1475.10 | 900.00 | 575.10 |
| | 2–बलिया | 32 | 524.48 | 320.00 | 204.48 |
| | 3–मऊ | 26 | 426.14 | 260.00 | 166.14 |
| 5. | बस्ती मण्डल | | | | |
| | 1–बस्ती | 37 | 606.43 | 370.00 | 236.43 |
| | 2–संतकबीरनगर | 21 | 344.19 | 210.00 | 134.19 |
| | 3–सिद्धार्थनगर | 22 | 360.58 | 220.00 | 140.58 |
| 6. | बरेली मण्डल | | | | |
| | 1–बरेली | 35 | 573.65 | 350.00 | 223.65 |
| | 2–बदायूँ | 34 | 557.26 | 340.00 | 217.26 |
| | 3–पीलीभीत | 21 | 344.19 | 210.00 | 134.19 |
| | 4–शाहजहाँपुर | 36 | 590.04 | 360.00 | 230.04 |
| 7. | चित्रकूटधाम मण्डल | | | | |
| | 1–बांदा | 17 | 278.63 | 170.00 | 108.63 |
| | 2–चित्रकूट | 10 | 163.90 | 100.00 | 63.90 |
| | 3–हमीरपुर | 8 | 131.12 | 80.00 | 51.12 |
| | 4–महोबा | 12 | 196.68 | 120.00 | 76.68 |
| 8. | देवीपाटन मण्डल | | | | |
| | 1–गोण्डा | 31 | 508.09 | 310.00 | 198.09 |
| | 2–बहराइच | 27 | 442.53 | 270.00 | 172.53 |
| | 3–बलरामपुर | 16 | 262.24 | 160.00 | 102.24 |
| | 4–श्रावस्ती | 10 | 163.90 | 100.00 | 63.90 |
| 9. | फैजाबाद मण्डल | | | | |
| | 1–फैजाबाद | 23 | 376.97 | 230.00 | 146.97 |
| | 2–अम्बेडकरनगर | 35 | 573.65 | 350.00 | 223.65 |
| | 3–बाराबंकी | 41 | 671.99 | 410.00 | 261.99 |
| | 4–सुल्तानपुर | 40 | 655.60 | 400.00 | 255.60 |
| 10. | गोरखपुर मण्डल | | | | |
| | 1–गोरखपुर | 64 | 1048.96 | 640.00 | 408.96 |
| | 2–देवरिया | 28 | 458.92 | 280.00 | 178.92 |
| | 3–महराजगंज | 10 | 163.90 | 100.00 | 63.90 |
| | 4–कुशीनगर | 27 | 442.53 | 270.00 | 172.53 |
| 11. | झांसी मण्डल | | | | |
| | 1–झांसी | 18 | 295.02 | 180.00 | 115.02 |
| | 2–जालौन | 19 | 311.41 | 190.00 | 121.41 |
| | 3–ललितपुर | 10 | 163.90 | 100.00 | 63.90 |
| 12. | कानपुर मण्डल | | | | |
| | 1–कानपुर नगर | 21 | 344.19 | 210.00 | 134.19 |
| | 2–रमाबाईनगर | 20 | 327.80 | 200.00 | 127.80 |
| | 3–इटावा | 19 | 311.41 | 190.00 | 121.41 |
| | 4–औरैया | 19 | 311.41 | 190.00 | 121.41 |
| | 5–फर्रूखाबाद | 14 | 229.46 | 140.00 | 89.46 |
| | 6–कन्नौज | 10 | 163.90 | 100.00 | 63.90 |
| 13. | लखनऊ मण्डल | | | | |
| | 1–लखनऊ | 33 | 540.87 | 330.00 | 210.87 |
| | 2–हरदोई | 71 | 1163.69 | 710.00 | 453.69 |
| | 3–लखीमपुर खीरी | 14 | 229.46 | 140.00 | 89.46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4—रायबरेली | 40 | 655.60 | 400.00 | 255.60 |
| | 5—सीतापुर | 70 | 1147.30 | 700.00 | 447.30 |
| | 6—उन्नाव | 53 | 868.67 | 530.00 | 338.67 |
| 14. | मेरठ मण्डल | | | | |
| | 1—मेरठ | 11 | 180.29 | 110.00 | 70.29 |
| | 2—गौतमबुद्ध नगर | 5 | 81.95 | 50.00 | 31.95 |
| | 3—बागपत | 6 | 98.34 | 60.00 | 38.34 |
| | 4—बुलंदशहर | 18 | 295.02 | 180.00 | 115.02 |
| | 5—गाजियाबाद | 16 | 262.24 | 160.00 | 102.24 |
| 15. | विन्ध्यांचल मण्डल | | | | |
| | 1—मिर्जापुर | 49 | 803.11 | 490.00 | 313.11 |
| | 2—संतरविदासनगर | 14 | 229.46 | 140.00 | 89.46 |
| | 3—सोनभद्र | 60 | 983.40 | 600.00 | 383.40 |
| 16 | मुरादाबाद मण्डल | | | | |
| | 1—मुरादाबाद | 38 | 622.82 | 380.00 | 242.82 |
| | 2—ज्योतिबाफुलेनगर | 13 | 213.07 | 130.00 | 83.07 |
| | 3—रामपुर | 23 | 376.97 | 230.00 | 146.97 |
| | 4—बिजनौर | 52 | 852.28 | 520.00 | 332.28 |
| 17 | सहारनपुर मण्डल | | | | |
| | 1—सहारनपुर | 32 | 524.48 | 320.00 | 204.48 |
| | 2—मुजफ्फरनगर | 37 | 606.43 | 370.00 | 236.43 |
| 18 | वाराणसी मण्डल | | | | |
| | 1—वाराणसी | 20 | 327.80 | 200.00 | 127.80 |
| | 2—चन्दौली | 22 | 360.58 | 220.00 | 140.58 |
| | 3—जौनपुर | 63 | 1032.57 | 630.00 | 402.57 |
| | 4—गाजीपुर | 47 | 770.33 | 470.00 | 300.33 |
| | योग | 2000 | 32780.00 | 20000.00 | 12780.00 |

(एक अरब सत्ताइस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

2— उक्त जनपदवार स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण संबंधित जनपद द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशि के 75 प्रतिशत व्यय/उपभोग की पुष्टि के बाद ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

3— जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय एस0सी0एस0 पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

4— उक्त धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि का उपायोग करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

5— इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यो के लेखों की लेखा परीक्षा नियमानुसार की जायेगी।

6— उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010—11 में अनुदान संख्या—83 के अंतर्गत "4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनागत—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—03—अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में सामुदायिक हाल /केन्द्र का निर्माण—24—बृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा प्रपत्र—बी0एम0—9 के स्तम्भ—1 में उल्लिखित बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– ई–3–1908 /दस–2010, दिनांक 25. अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार )
प्रमुख सचिव ।

संख्या– 954 (1)/26–ब0प्र0–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/कार्यक्रम कार्यान्वयन/डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0/निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )
अनु सचिव।

**प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)**
**पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति**
**(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)**

**अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जाति सब प्लान (समाज कल्याण)** **वित्तीय वर्ष** 2010-2011 **(धनराशि हजार रू0 में)**

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक आयोजनागत | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना-48-पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान- | 7493622 | 600000 | 600000 | 600000 | 6893622 |
| योग | 7493622 | 600000 | 600000 | 600000 | 6893622 |

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक आयोजनागत | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में सामुदायिक हाल/केन्द्र का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य- | 2678000 | 3278000 | 600000 | 600000 | 3278000 |
| योग | 2678000 | 3278000 | 600000 | 600000 | 3278000 |

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या- आर0ई0 102 /दस-2010 दिनांक 13-10-10
संख्या- 12 पु0/26-ब0प्र0-2010, दिनांक 27-10-10

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

( उमा शंकर सिंह )
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग

संख्या– 954(1)/26–ब0प्र0–2010–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, नगर विकास (मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना),उ0प्र0 शासन ।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
5– कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
8– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।